



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 05, गुरुवार, शाके 1945-जुलाई 27, 2023
Sravana 05, Thursday, Saka 1945- July 27, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2023

संख्या एफ-11(186)आरएसपीसीबी/लैब/2023 :- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) की धारा 29 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य मण्डल द्वारा स्थापित प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु या उत्सर्जन के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए मण्डल विश्लेषक के रूप में निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसके द्वारा नियुक्त करता है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती वन्दना चतुर्वेदी	14	श्री देवेन्द्र सिंह बीकुन्दीया
2	श्री रोहित मीणा	15	श्रीमती नम्रता डांगरा
3	डॉ. सत्यवान सिंह	16	श्री श्याम सिंह
4	श्रीमती बुशरा खानम	17	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह मीणा
5	डॉ. रिकू सिंघल	18	डॉ. निशा जैन
6	डॉ. अभि गर्ग	19	डॉ. सोहन लाल
7	श्रीमती रिंकी महेरा	20	डॉ. महेश कुमार मालव
8	श्री हितेश कुमार उपाध्याय	21	डॉ. अतहर परवेज
9	श्रीमती गरिमा मिश्रा	22	श्री राम किशोर कुमावत
10	श्रीमती शर्मिला	23	श्री दयाराम
11	श्रीमती बुलकेश	24	श्री दारासिंह श्योराण
12	श्री सुनील कुमार	25	श्री सूरज मल मीणा
13	श्री अनिल बैरवा	26	डॉ. दिव्या शर्मा

टिप्पणी: उपर्युक्त वैज्ञानिक अधिकारीगण, मण्डल विश्लेषक के कृत्यों का पालन केवल तभी करेंगे जब वे प्रयोगशाला में पदस्थापित हों।

मण्डल के आदेश से,

विजय एन.,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2023

संख्या एफ-11(186)आरएसपीसीबी/लैब/2023 :- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) की धारा 53 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य मण्डल द्वारा स्थापित प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजे गए जल या मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव जल के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए मण्डल विश्लेषक के रूप में निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसके द्वारा नियुक्त करता है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती वन्दना चतुर्वेदी	14	श्री देवेन्द्र सिंह बीकुन्दीया
2	श्री रोहित मीणा	15	श्रीमती नम्रता डांगरा
3	डॉ. सत्यवान सिंह	16	श्री श्याम सिंह
4	श्रीमती बुशरा खानम	17	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह मीणा
5	डॉ. रिकू सिंघल	18	डॉ. निशा जैन
6	डॉ. अभि गर्ग	19	डॉ. सोहन लाल
7	श्रीमती रिंकी महेरा	20	डॉ. महेश कुमार मालव
8	श्री हितेश कुमार उपाध्याय	21	डॉ. अतहर परवेज
9	श्रीमती गरिमा मिश्रा	22	श्री राम किशोर कुमावत
10	श्रीमती शर्मिला	23	श्री दयाराम
11	श्रीमती बुलकेश	24	श्री दारासिंह श्योराण
12	श्री सुनील कुमार	25	श्री सूरज मल मीणा
13	श्री अनिल बैरवा	26	डॉ. दिव्या शर्मा

टिप्पणी: उपर्युक्त वैज्ञानिक अधिकारीगण, मण्डल विश्लेषक के कृत्यों का पालन केवल तभी करेंगे जब वे प्रयोगशाला में पदस्थापित हों।

मण्डल के आदेश से,

विजय एन.,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।